कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 29/2020 दिनांक: अक्टूबर, 05/2020

प्रेस नोट

थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा जिला बदर अपराधी अनिल कुमार राजभर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वाराणसी द्वारा संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी सदर के दिशा निर्देशन में थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा 06 माह की अवधि के लिये वाराणसी जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश का जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) वाराणसी द्वारा दिनांक 30/09/2020 को अनिल कुमार राजभर पुत्र स्व0 आत्माराम राजभर निवासी ग्राम केशरीपुर थाना रोहनियाँ वाराणसी को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत 06 माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया था, लेकिन अभियुक्त अनिल कुमार राजभर द्वारा आदेश का पालन न करते हुए अपने घर में रह रहा था। जिसे आज दिनांक 05/10/2020 को थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 406/2020 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- अनिल कुमार राजभर पुत्र स्व0 आत्माराम राजभर निवासी ग्राम केशरीपुर थाना रोहनियाँ वाराणसी।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 559/17 धारा 420,406,506,504 भादवि, 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 थाना रोहनियाँ वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 324/18 धारा 354,354(ख),427,441,504,506 भादवि थाना रोहनियाँ वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 373/18 धारा 434,504,506 भादवि थाना रोहनियाँ वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 406/2020 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम थाना रोहनियाँ वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी, उ0नि0 इन्दुकांत पाण्डेय, का0 विश्वजीत पाण्डेय व का0 अविनाश शर्मा थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 30/2020 दिनांक: अक्टूबर, 05/2020

प्रेस नोट

दिनांक 04.10.2020 को थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-482/2020 धारा-363/366/504/506 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अजीत यादव पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम छितौना थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष को छित्तमपुर मोड़ से समय करीब 18.30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- अजीत यादव पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम छितौना थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 कुँवर अंशुमान सिंह, उ0नि0 कृष्ण मोहन पासवान, का0 अमृत राज तिवारी व म0का0 अनिता सरोज थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 31/2020 दिनांक: अक्टूबर, 05/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 05.10.2020 को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0310/2020 धारा 302/201 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त इम्तियाज गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अभियान के तहत, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी भेलूपुर के नेतृत्व में आज दिनांक 05.10.2020 को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मु0अ0सं0 0310/2020 धारा 302/201 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त इम्तियाज उर्फ पप्पू पुत्र मुख्तार अहमद निवासी मकदूम बाबा बजरडीहा थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र 24 वर्ष को बजरडीहा लमही बड़ी मस्जिद के पास से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त इम्तियाज उर्फ पप्पू से पूछताछ की गई तो अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मोहल्ले के अल्ताफ हुसैन उर्फ सोनू पुत्र स्व0 अली हुसैन नि0- एन 12/375 मकदूम बाबा बजरडीहा थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी से मेरी पुरानी दोस्ती है। अल्ताफ हुसैन उर्फ सोनू के पिता की मृत्यु हो चुकी है उसकी सौतेली मां परवीन बानों अपने दो बच्चों के साथ पुस्तैनी मकान में रहती है आर्थिक तंगी के कारण अल्ताफ अपना पुस्तैनी मकान बेंचकर व्यापार करने के चक्कर में था लेकिन उसकी सौतेली माँ परवीन बानों मकान बेंचने को तैयार नहीं थी। इसी सिलसिले में अल्ताफ ने मुझे विश्वास में लेकर कहा कि अगर उसकी सौतेली माँ परवीन बानों को रास्ते से हटा दिया जाय तो वह अपना मकान बेंचकर अमन चैन से सुख पूर्वक रह सकता है तथा मकान बिक जाने पर मुझे भी 1 लाख रूपये देने की बात कही थी। लालच वश मै अल्ताफ की बातों में मैं आ गया था तथा हम लोगों ने परवीन बानों की हत्या कर उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। दिनांक 28.06.2020 को जब परवीन बानों घर में अकेली थी तब अल्ताफ ने मुझे बुलाया था। दिन के लगभग 02.00 बजे हम दोनों ने मिलकर परवीन बानों की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अल्ताफ बाजार से राजू बनिया के यहाँ से नमक तथा रामजी वर्मा सीमेन्ट वाले बजरडीहा की दुकान से सीमेन्ट लाया था। उसी दिन परवीन बानों की हत्या के बाद उसी कमरे में 4 से 5 फीट का गढ्ढा खोदकर प्लास्टिक की पीले रंग की बोरी में परवीन बानों की लाश को भरकर गढ्ढे में नमक डालकर दफनाकर उपर से हम दोनों ने मिलकर सीमेन्ट से प्लास्टर कर दिया था। उसके बाद मैं बाहर रिश्तेदारी में चला गया। अल्ताफ उर्फ सोनू को घटना के एक सप्ताह बाद पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था तथा परवीन बानों का शव भी उसी कमरे से बरामद किया गया था। भयवस मैं इधर उधर छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- इम्तियाज उर्फ पप्पू पुत्र मुख्तार अहमद निवासी मकदूम बाबा बजरडीहा थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र 24 वर्ष।

<u>*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-*</u>

- प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार श्रोतिया, का0 नीरज कुमार, का0 राजविलास व हो0गा0 चालक मंगला सिंह थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 32/2020 दिनांक: अक्टूबर, 05/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 05/10/2020 को थाना लंका पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 651/20 धारा धारा 504/506/307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल यादव उर्फ कल्लू पुत्र बोदे उर्फ रामआसरे नि0 सीरगोवर्धनपुर थाना लंका जनपद वाराणसी उम्र 25 वर्ष को लौटूवीर बाबा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद अवैध पिस्टल व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लंका पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 652/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- अनिल यादव उर्फ कल्लू पुत्र बोदे उर्फ रामआसरे नि0 सीरगोवर्धनपुर थाना लंका जनपद वाराणसी उम्र 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 83/2016 धारा 302/34 आईपीसी थाना लंका वाराणसी
2. मु0अ0सं0 651/20 धारा 504/506/307 आईपीसी थाना लंका वाराणसी
3. मु0अ0सं0 652/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लंका वाराणसी
4. मु0अ)सं0 350/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लंका वाराणसी
5. मु0अ0सं0 349/20 धारा 307 आईपीसी थाना लंका वाराणसी
6. मु0अ0सं0 1219/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लंका वाराणसी
7. मु0अ0सं0 1246/18 धारा 307/411/414 आईपीसी थाना लंका वाराणसी
8. मु0अ0सं0 1246/18 धारा 307/411/414 आईपीसी थाना लंका वाराणसी
9. मु0अ0सं0 954/18 धारा 392 आईपीसी थाना लंका वाराणसी
10. मु0अ0सं0 941/18 धारा 307/323/394 आईपीसी थाना लंका वाराणसी

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद अवैध पिस्टल व एक अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 जगदीश प्रसाद शुक्ल चौकी प्रभारी बी0एच0यू0, उ0नि0 उपेन्द्र कुमार यादव, उ0नि0 शशि प्रताप सिंह, हे0का0 अमित राय, का0 राहुल कुमार प्रजापति व का0 सुमित सिंह थाना लंका वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 33/2020 दिनांक: अक्टूबर, 05/2020

प्रेस नोट

थाना फूलपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 457/16 धारा 363/376/323 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट एवं 5M/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मिनहाज पुत्र जलालूद्दीन निवासी जगलपुर कठिराँव थाना फूलपुर वाराणसी को मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 05.10.2020 को मा0 न्या0 विशेष न्यायाधीश पाक्सो जनपद वाराणसी द्वारा धारा 5M/6 पाक्सो एक्ट में लगाये गये आरोप में दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 34/2020 दिनांक: अक्टूबर, 05/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 05-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 17 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *88 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1950 वाहनों का चालान, 34 वाहनों को सीज तथा 371 वाहनों से रु0-3,34,000/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 05-10-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 948 व्यक्तियों से रु0-46,800/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।